नईदुनिया

संपादकीय

बेगुनाह को 22 साल जेल में रखने का गुनहगार कौन ?

जिम्मेदारों पर कार्रवाई कब ?

न्यायालय को न्याय का मंदिर कहा जाता है। हर बेगुनाह को भरोसा होता है कि सच देर से ही सही, एक दिन सामने जरूर आएगा। लेकिन जब सच सामने आने तक इंसान अपना सब कुछ खो चुका हो, तब उस न्याय को क्या कहा जाए-जीत, हार, राहत या सजा?

ओडिशा के अर्जुन जानी की कहानी इसी दर्द की कहानी है। 22 वर्ष पहले हत्या के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया। ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई, हाईकोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी और अर्जुन सलाखों के पीछे चले गए। पूरे 22 वर्ष उन्होंने जेल में बिताए। जब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी करते हुए कहा कि निचली अदालत और हाईकोर्ट दोनों अपने दायित्व निभाने में विफल रहे, तब तक अर्जुन के पास लौटने के लिए कुछ नहीं बचा था। न घर, न परिवार और न ही वह सामाजिक सम्मान, जो किसी भी इंसान की सबसे बड़ी पूंजी होता है।

22 वर्ष का अर्थ समझना होगा। इतने समय में एक बच्चा जवान हो जाता है और एक जवान बूढ़ा। अर्जुन जब जेल गए थे, तब उनके माता-पिता जीवित थे, परिवार साथ था। आज वे लौटे तो माता-पिता इस दुनिया में नहीं हैं, रिश्तेदार दूर हो चुके हैं और गांव वाले उन्हें अब भी उसी नजर से देखते हैं, जिस नजर से किसी अपराधी को देखा जाता है। अदालत ने उन्हें बेगुनाह घोषित कर दिया, लेकिन समाज ने उन्हें बहुत पहले दोषी मान लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय व्यवस्था सामूहिक रूप से विफल रही। यह एक छोटी-सी टिप्पणी नहीं, बल्कि पूरी व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। अर्जुन की जवानी, उनके माता-पिता का इंतजार और उनका पूरा जीवन इसी विफलता की भेंट चढ़ गया। यदि वे जेल नहीं गए होते तो शायद उनका अपना परिवार, अपना घर और सामान्य जीवन होता।

यह केवल अर्जुन की कहानी नहीं, बल्कि हमारे न्याय तंत्र का आईना है। ट्रायल कोर्ट की जल्दबाजी, हाईकोर्ट की चूक और वर्षों तक लंबित प्रक्रिया ने एक निर्दोष व्यक्ति की जिंदगी छीन ली। जेल से बाहर आने के बाद भी उनकी सजा खत्म नहीं हुई। समाज आज भी उन्हें संदेह की नजर से देखता है। रोजगार मांगने पर लोग उनके अतीत का हवाला देकर मुंह मोड़ लेते हैं। इस तरह एक बेगुनाह दो बार सजा भुगतता है-पहली कानून से और दूसरी समाज से।

सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इस अन्याय की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मुआवजे से 22 वर्ष लौटाए जा सकते हैं? क्या किसी सरकारी घोषणा से टूटे रिश्ते और बिखरा जीवन फिर से जुड़ सकता है? न्याय तभी सार्थक है, जब वह समय पर मिले। इसलिए आवश्यक है कि विचाराधीन मामलों की शीघ्र सुनवाई हो, बेगुनाह साबित होने वालों के सम्मानजनक पुनर्वास की व्यवस्था बने और हर न्यायाधीश, वकील तथा पुलिस अधिकारी यह याद रखे कि उनकी एक चूक किसी इंसान की पूरी जिंदगी तबाह कर सकती है।

अर्जुन जानी आज बरी जरूर हो गए हैं, लेकिन उनका सबसे बड़ा सवाल अब भी अनुत्तरित है-अगर न्याय 22 साल बाद मिले, तो क्या वह सचमुच न्याय कहलाएगा? सच यही है कि देर से मिला न्याय, कई बार अन्याय से भी अधिक पीड़ादायक होता है।

आजकल

दिया तले अंधेरा

राजधानी भोपाल की पहचान बड़े तालाब और श्यामला हिल्स से है। यह क्षेत्र शहर का फेफड़ा माना जाता है, लेकिन आज यहीं राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के स्पष्ट आदेशों की खुलेआम अनदेखी हो रही है। भारत भवन और उसके आसपास के इलाके में निर्माण, तोड़फोड़ तथा भारी मशीनों के उपयोग की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि यह सब मुख्यमंत्री निवास से कुछ ही दूरी पर हो रहा है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि जब सत्ता के केंद्र के पास ही पर्यावरण कानूनों का पालन नहीं हो रहा, तो बाकी प्रदेश में क्या स्थिति होगी?

एनजीटी पहले ही निर्देश दे चुका है कि बड़े तालाब और अन्य वेटलैंड के 50 मीटर बफर जोन में किसी भी प्रकार का निर्माण, खुदाई या अत्यधिक शोर पैदा करने वाले उपकरणों का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद जेसीबी और इलेक्ट्रिक हैमर से चट्टानें तोड़ी जा रही हैं। इससे धूल, शोर और कंपन बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे आसपास रहने वाले बुजुर्गों, बच्चों और आम नागरिकों को परेशानी हो रही है तथा कुछ इमारतों में दरारें भी दिखाई देने लगी हैं।

सबसे चिंताजनक पहलू प्रशासनिक जवाबदेही का अभाव है। नगर निगम, जिला प्रशासन और पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी है कि वे एनजीटी के आदेशों का पालन सुनिश्चित करें। यदि शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, तो यह कानून के प्रति उदासीनता का संकेत है। बड़े तालाब का बफर जोन केवल एक सीमा रेखा नहीं, बल्कि भोपाल के पर्यावरण, भूजल और जैव विविधता की सुरक्षा का आधार है।

सरकार को इस क्षेत्र में चल रहे सभी निर्माण और तोड़फोड़ कार्यों की तत्काल जांच करानी चाहिए। यदि कहीं एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है, तो दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होना जरूरी है। बड़े तालाब और श्यामला हिल्स केवल पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भोपाल की पहचान और जीवनरेखा हैं। इनके संरक्षण में किसी भी प्रकार की लापरवाही वास्तव में दिया तले अंधेरा ही कहलाएगी।

नई पीढ़ी से नए भारत का संवाद ...

भारत की राजनीति और समाज का भविष्य आज उस पीढ़ी के हाथ में है, जिसे जेन जी कहा जाता है। यह वह पीढ़ी है, जो इंटरनेट के साथ बड़ी हुई है, स्मार्टफोन की स्क्रीन पर दुनिया देखती है, सवाल पूछती है और परंपरा से ज्यादा प्रमाण मांगती है। इस पीढ़ी को समझने के लिए अब पुराने तरीके कारगर नहीं होंगे। भाषण, रैलियां और नारे अब उतना असर नहीं करते, जितना सीधा संवाद और भरोसा करता है। इसी जरूरत को समझते हुए देशभर के 100 शहरों में युवाओं से सीधे संवाद की पहल शुरू की गई है। इसका उद्देश्य जेन जी की आवाज सुनना, उनकी चिंताओं को समझना और उन्हें राष्ट्र निर्माण का भागीदार बनाना है।

जेन जी की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वह किसी बात को आंख मूंदकर स्वीकार नहीं करती। वह तर्क चाहती है, पारदर्शिता चाहती है और जवाबदेही चाहती है। सोशल मीडिया ने इस पीढ़ी को मुखर बना दिया है। एक ट्वीट, एक रील या एक पोस्ट किसी भी मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बना सकती है। लेकिन इसी मुखरता के साथ इस पीढ़ी में भ्रम और असंतोष भी है। रोजगार की अनिश्चितता, महंगाई, मानसिक तनाव और पहचान के संकट ने इसके सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि इन सवालों का समय पर जवाब नहीं मिला तो यह असंतोष विरोध और दूरी में बदल सकता है। इसलिए संवाद ही सबसे प्रभावी रास्ता है।

देशभर के 100 शहरों में होने वाले इस संवाद कार्यक्रम की रूपरेखा भी इसी सोच पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल भाषण देना नहीं, बल्कि युवाओं को सुनना है। उन्हें ऐसा मंच देना है, जहां वे बिना डरे अपनी बात रख सकें। शिक्षा, रोजगार, कौशल, स्टार्टअप, जलवायु परिवर्तन और सांस्कृतिक पहचान जैसे विषयों पर खुली चर्चा होगी। कार्यक्रम का स्वरूप भी जेन जी के अनुरूप रखा गया है। लंबे भाषणों के बजाय पैनल चर्चा, प्रश्नोत्तर और लाइव फीडबैक को प्राथमिकता दी गई है, ताकि युवा स्वयं को इस प्रक्रिया का हिस्सा महसूस करें।

इस पहल की सबसे बड़ी जरूरत इसलिए भी है क्योंकि पिछले कुछ समय में जेन जी और व्यवस्था के बीच दूरी दिखाई दी है। सोशल मीडिया पर कई बार यह दूरी टकराव में बदल जाती है। युवाओं को लगता है कि उनकी बात सुनी नहीं जा रही, जबकि नीति निर्माताओं को लगता है कि युवा धैर्य नहीं रखते और केवल आलोचना करते हैं। इस खाई को पाटने के लिए आमने-सामने बैठकर बात करना जरूरी है। जब कोई युवा अपने शहर में किसी वरिष्ठ नेता या नीति निर्माता से सीधे सवाल पूछेगा और उसे संतोषजनक जवाब मिलेगा, तो व्यवस्था के प्रति उसका भरोसा भी मजबूत होगा।

100 शहरों का चयन भी सोच-समझकर किया गया है। इसमें केवल महानगर ही नहीं, बल्कि टियर-2 और टियर-3 शहर भी शामिल हैं। जेन जी अब केवल दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु तक सीमित नहीं है। भोपाल, इंदौर, नागपुर, जयपुर, पटना और रांची जैसे शहरों के युवा भी उतने ही जागरूक और महत्वाकांक्षी हैं। इन शहरों में कॉलेज, स्टार्टअप और कोचिंग संस्थानों की संख्या तेजी से बढ़ी है। यहां के युवा भी राष्ट्रीय विमर्श में अपनी भागीदारी चाहते हैं, इसलिए संवाद को जमीनी स्तर तक ले जाना जरूरी था।

संवाद के मुख्य विषय भी जेन जी की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर तय किए गए हैं। पहला विषय रोजगार और कौशल है। आज का युवा केवल सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहा, बल्कि स्टार्टअप, फ्रीलांसिंग और गिग इकोनॉमी में भी अवसर तलाश रहा है। दूसरा विषय शिक्षा है। परीक्षा, पेपर लीक, कोचिंग का दबाव और डिग्री की प्रासंगिकता जैसे मुद्दे हर युवा को प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा विषय मानसिक स्वास्थ्य है। सोशल मीडिया की तुलना और करियर का दबाव इस पीढ़ी को भीतर से प्रभावित कर रहा है। चौथा विषय राष्ट्र और संस्कृति है। जेन जी अपनी जड़ों से जुड़ना चाहती है, लेकिन उसे पुरानी बातें थोपने के बजाय तर्क और संवाद के साथ समझाना होगा।

इस संवाद की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह केवल एक आयोजन बनकर न रह जाए, बल्कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बने। एक बार संवाद कर फोटो खिंचवाकर चले जाने से कुछ नहीं होगा। हर शहर से मिलने वाले सुझावों को एक केंद्रीय पोर्टल पर दर्ज किया जाना चाहिए और समय-समय पर यह बताया जाना चाहिए कि उनमें से कितनों पर काम हुआ। यदि युवाओं को अपनी बात का असर नीति में दिखाई देगा, तभी उनका भरोसा मजबूत होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यह पहल भी एक औपचारिकता बनकर रह जाएगी। एक और जरूरी बात यह है कि संवाद में केवल उन्हीं युवाओं को न बुलाया जाए, जो पहले से किसी संगठन से जुड़े हैं। असली जेन जी वह भी है, जो कॉलेज के बाद नौकरी की तलाश में है, जो यूट्यूब से कोडिंग सीख रहा है और जो छोटे शहर में रहकर बड़े सपने देख रहा है। ऐसे युवाओं तक भी पहुंचना होगा। इसके लिए कॉलेजों, स्वयंसेवी संस्थाओं और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की मदद ली जा सकती है, ताकि संवाद में विविधता आए और हर वर्ग की आवाज सुनी जाए।

जेन जी को साधने का मतलब उसे नियंत्रित करना नहीं, बल्कि उसे साथ लेकर चलना है। यह पीढ़ी सवाल पूछती है क्योंकि उसे देश की चिंता है और वह बेहतर भारत चाहती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाए तो यही पीढ़ी विकसित भारत की सबसे मजबूत आधारशिला बनेगी। लेकिन यदि इसे नजरअंदाज किया गया तो यही ऊर्जा निराशा और पलायन में बदल सकती है। देशभर के 100 शहरों में होने वाला यह संवाद एक शुरुआत है, एक प्रयोग है। यदि यह सफल हुआ तो भारतीय राजनीति और समाज के लिए एक नया मॉडल बन सकता है, जहां नेता केवल बोलेंगे नहीं, बल्कि सुनेंगे भी और युवा केवल शिकायत नहीं करेंगे, बल्कि समाधान भी देंगे। नई पीढ़ी के साथ सार्थक संवाद ही समय की मांग है, क्योंकि जो पीढ़ी सवाल पूछती है, वही भविष्य के जवाब भी गढ़ती है।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

एमपीईएसबी की लचर कार्यप्रणाली

टूट रहा युवाओं का भरोसा, बार-बार टल रही भर्तियां

मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले लाखों युवाओं के लिए इस समय सबसे बड़ी चुनौती तैयारी नहीं, बल्कि अनिश्चितता है। राज्य में भर्ती परीक्षाएं आयोजित कराने वाली सबसे बड़ी संस्था मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (एमपीईएसबी) पिछले कई महीनों से अपनी विश्वसनीयता लगातार खो रही है। परीक्षा कैलेंडर जारी होने के बाद भी बार-बार तारीखें बदली जा रही हैं, जिससे अभ्यर्थियों की मेहनत, समय और पैसा तीनों बर्बाद हो रहे हैं। जनवरी से अब तक चार बड़ी भर्ती परीक्षाओं की तारीख बदली जा चुकी है और यह सिलसिला अभी थमने का नाम नहीं ले रहा।

ताजा मामला समूह-2, उपसमूह-1 के अंतर्गत कृषि विस्तार अधिकारी भर्ती परीक्षा-2026 का है। यह परीक्षा पहले 5 अगस्त से शुरू होनी थी, लेकिन एमपीईएसबी ने अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए इसे 17 सितंबर तक टाल दिया। इस एक फैसले से हजारों अभ्यर्थियों का पूरा शेड्यूल गड़बड़ा गया। जो छात्र दूसरे जिलों से परीक्षा देने आते हैं, उन्होंने पहले से यात्रा और ठहरने की व्यवस्था कर ली थी, कोचिंग की फीस जमा कर दी थी और अंतिम चरण की तैयारी में जुटे थे। अचानक तारीख आगे बढ़ने से उनका मनोबल टूटा है और आर्थिक बोझ भी बढ़ गया है। यह पहली बार नहीं है जब एमपीईएसबी ने परीक्षा की तारीख बदली हो। इससे पहले समूह-1, उपसमूह-2 संयुक्त भर्ती परीक्षा-2025 को 10 फरवरी 2026 से बढ़ाकर 17 फरवरी कर दिया गया था। समूह-2 एवं उपसमूह-3 की भर्ती परीक्षा भी दो बार आगे बढ़ाई गई। पहले इसकी तारीख 15 दिसंबर निर्धारित थी, फिर उसे 23 जनवरी किया गया और अंत में 28 जनवरी कर दिया गया। वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक एवं जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा को भी 4 जून से बढ़ाकर 20 जून कर दिया गया। यानी लगभग हर महीने कोई न कोई परीक्षा टल रही है और हर बार कारण वही 'अपरिहार्य कारण' बताया जा रहा है, लेकिन वह कारण क्या है, यह किसी को नहीं बताया जा रहा।

फैक्ट फाइल पर नजर डालें तो स्थिति और भी चिंताजनक दिखाई देती है। जनवरी से अब तक चार भर्ती परीक्षाओं की तारीखें बदली जा चुकी हैं। 16 भर्ती परीक्षाओं की रूपरेखा एमपीईएसबी ने घोषित की है, लेकिन कई परीक्षाओं के नोटिफिकेशन अभी भी लंबित हैं। वर्ग-1 शिक्षक भर्ती परीक्षा-2026 तो प्रस्तावित सूची में शामिल ही नहीं है। इसका मतलब साफ है कि भर्ती प्रक्रिया में न समयबद्धता है और न ही पारदर्शिता।

इस लापरवाही का सबसे बड़ा असर प्रतियोगी छात्रों पर पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले छात्र एक साथ कई परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। उनका एक तय कार्यक्रम और रणनीति होती है। जब एक परीक्षा टलती है तो दूसरी परीक्षा से टकराव की स्थिति बन जाती है। कई बार दो अलग-अलग विभागों की परीक्षाएं एक ही दिन पड़ जाती हैं और छात्र को उनमें से किसी एक को छोड़ना पड़ता है। कोचिंग संस्थानों का शेड्यूल भी प्रभावित होता है। मॉक टेस्ट, रिवीजन और करंट अफेयर्स की तैयारी पूरी तरह अस्त-व्यस्त हो जाती है।

आर्थिक पहलू को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक छात्र को फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में औसतन तीन से पांच हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। बार-बार तारीख बदलने से उसे दोबारा यात्रा करनी पड़ती है, दोबारा ठहरना पड़ता है और कई बार कोचिंग की अतिरिक्त फीस भी देनी पड़ती है। जो छात्र गरीब परिवारों से आते हैं, उनके लिए यह दोहरा झटका है। एक तरफ घर का खर्च, दूसरी तरफ बेरोजगारी का दबाव और ऊपर से संस्था की लापरवाही।

मनोवैज्ञानिक असर भी कम गंभीर नहीं है। लगातार तैयारी करने के बाद जब परीक्षा अंतिम समय में टल जाती है तो छात्र हताश हो जाता है। पढ़ाई में निरंतरता टूटती है और आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। कई छात्र ऐसे हैं जो पिछले दो-तीन वर्षों से एक ही परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हर बार नई तारीख के साथ उनका सपना भी आगे खिसक जाता है। इससे उनमें व्यवस्था के प्रति गुस्सा और निराशा बढ़ रही है। सोशल मीडिया पर भी अभ्यर्थी लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही।

आखिर एमपीईएसबी बार-बार तारीखें क्यों बदल रहा है? सूत्रों के अनुसार इसका मुख्य कारण प्रशासनिक समन्वय का अभाव और परीक्षा केंद्रों की अनुपलब्धता है। कई बार प्रश्नपत्र तैयार करने में देरी होती है तो कई बार तकनीकी दिक्कतें सामने आ जाती हैं। लेकिन इन सभी समस्याओं का खामियाजा आखिरकार छात्रों को ही भुगतना पड़ता है। एक जिम्मेदार संस्था से यह अपेक्षा की जाती है कि वह पहले सभी तैयारियां पूरी करे और उसके बाद ही परीक्षा की तारीख घोषित करे। यहां उल्टा हो रहा है। पहले तारीख घोषित की जाती है और बाद में उसे बदल दिया जाता है।

इस स्थिति से निपटने के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। सबसे पहले एमपीईएसबी को अपना परीक्षा कैलेंडर पूरी तैयारी के साथ जारी करना चाहिए और उसे अंतिम मानना चाहिए। बीच में बदलाव केवल आपदा जैसी असाधारण परिस्थितियों में ही होना चाहिए। दूसरा, एक प्रभावी शिकायत निवारण और सूचना तंत्र विकसित किया जाए, ताकि तारीख बदलने की स्थिति में अभ्यर्थियों को पर्याप्त समय पहले जानकारी मिल सके। तीसरा, राज्य सरकार को इस मामले में हस्तक्षेप कर एमपीईएसबी की कार्यप्रणाली की समीक्षा करानी चाहिए, ताकि युवाओं का भरोसा फिर से कायम हो सके।

मध्य प्रदेश युवा प्रधान राज्य है। यहां हर साल लाखों छात्र सरकारी नौकरी के लिए मेहनत करते हैं। यदि भर्ती प्रक्रिया में ही अनिश्चितता बनी रहेगी तो बेरोजगारी और पलायन दोनों बढ़ेंगे। एक छात्र का एक वर्ष बर्बाद होना केवल उसका व्यक्तिगत नुकसान नहीं, बल्कि पूरे राज्य की मानव संसाधन क्षमता का नुकसान है।

एमपीईएसबी को यह समझना होगा कि परीक्षा की तारीख केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं होती, बल्कि वह हजारों परिवारों की उम्मीद होती है। जब उसे बार-बार बदला जाता है तो केवल परीक्षा नहीं टलती, बल्कि किसी के भविष्य की दिशा भी टल जाती है। समय आ गया है कि संस्था अपनी जिम्मेदारी समझे और युवाओं को वह सम्मान दे, जिसके वे हकदार हैं। वरना यह नाराजगी आने वाले समय में बड़े आंदोलन का रूप ले सकती है और उसकी जिम्मेदारी लचर व्यवस्था पर ही होगी।

(नईदुनिया संपादकीय डेस्क)

कवच बना सहारा, 5 हजार किसानों को मिली नई उम्मीद

रामस्वरूप शर्मा

मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों की डूबती नैया को पार लगाने के लिए कवच योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत प्रदेश के लगभग 5 हजार ऐसे किसान, जो सहकारी बैंकों के कर्ज में डिफॉल्टर हो गए थे, अब राहत की सांस ले सकेंगे। सरकार ने राज्य के सहकारी बैंकों को 25 करोड़ रुपये की राशि देने का फैसला किया है, ताकि डिफॉल्टर किसानों का पुराना बकाया समायोजित किया जा सके और उन्हें फिर से खेती के लिए नया कर्ज मिल सके। इस फैसले को सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

पिछले कुछ वर्षों में प्रदेश के किसानों की स्थिति बेहद कठिन रही है। एक तरफ सूखा, ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने फसलों को बर्बाद किया, तो दूसरी तरफ मंडियों में उपज के कम दाम मिलने से किसान लागत भी नहीं निकाल पाए। इसके कारण हजारों किसान सहकारी बैंकों का कर्ज नहीं चुका सके और डिफॉल्टर घोषित कर दिए गए। डिफॉल्टर होते ही बैंकों ने न तो उन्हें नया कर्ज दिया और न ही वे कई सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। इस दोहरे संकट में फंसकर कई किसान महाजनों के पास पहुंचे और ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेने को मजबूर हुए। इससे उनकी परेशानी और बढ़ गई। कुछ किसानों ने तो हताश होकर खेती छोड़ने तक का मन बना लिया। इसी पृष्ठभूमि में कवच योजना सामने आई है, जिसका उद्देश्य ऐसे किसानों को फिर से मुख्यधारा में लाना है।

कवच योजना के तहत सरकार सीधे सहकारी बैंकों को 25 करोड़ रुपये देगी। इस राशि से उन किसानों के खाते समायोजित किए जाएंगे, जो प्राकृतिक आपदा या अन्य मजबूरियों के कारण कर्ज नहीं चुका सके। समायोजन के बाद उन्हें डिफॉल्टर की सूची से हटाकर फिर से पात्र किसान माना जाएगा। इसके बाद वे बैंक से फसल ऋण लेकर दोबारा खेती कर सकेंगे। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल उन किसानों के लिए है, जो जानबूझकर डिफॉल्टर नहीं हुए, बल्कि परिस्थितियों के कारण कर्ज नहीं चुका पाए। इसके लिए बैंकों को ऐसे किसानों की सूची तैयार कर सरकार को भेजनी होगी। जांच के बाद ही राशि जारी की जाएगी। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कोई अपात्र व्यक्ति इसका लाभ न उठा सके।

कवच योजना के तहत सरकार सीधे सहकारी बैंकों को 25 करोड़ रुपये देगी। इस राशि से उन किसानों के खाते समायोजित किए जाएंगे, जो प्राकृतिक आपदा या अन्य मजबूरियों के कारण कर्ज नहीं चुका सके। समायोजन के बाद उन्हें डिफॉल्टर की सूची से हटाकर फिर से पात्र किसान माना जाएगा। इसके बाद वे बैंक से फसल ऋण लेकर दोबारा खेती कर सकेंगे।

सहकारी बैंक भी इस योजना से राहत महसूस कर रहे हैं। पिछले कई वर्षों से बैंकों का एनपीए लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि डिफॉल्टर किसानों से वसूली नहीं हो पा रही थी। नियामकीय प्रावधानों के कारण बैंक नए ऋण देने में भी कठिनाई महसूस कर रहे थे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में साख का संकट पैदा हो गया था। अब सरकार की इस मदद से बैंक अपनी वित्तीय स्थिति सुधार सकेंगे और किसानों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करा पाएंगे। इससे गांवों में पूंजी का प्रवाह बढ़ेगा, किसान बीज, खाद और दवाइयां खरीद सकेंगे तथा ग्रामीण बाजार में भी आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी।

कवच योजना की टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है। खरीफ की बुवाई का समय चल रहा है। यदि किसानों को समय पर कर्ज नहीं मिला, तो बुवाई प्रभावित होगी और उत्पादन पर भी असर पड़ेगा। सरकार ने बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वे निर्धारित समय-सीमा में प्रक्रिया पूरी करें, ताकि किसानों को समय पर ऋण मिल सके। साथ ही पंचायत स्तर पर जागरूकता अभियान चलाने की भी बात कही गई है, जिससे पात्र किसान योजना की जानकारी प्राप्त कर उसका लाभ उठा सकें। विपक्ष ने इस योजना को चुनावी कदम बताया है, जबकि सरकार का कहना है कि किसानों की भलाई का कोई समय नहीं होता और यह योजना दीर्घकालिक सोच के साथ बनाई गई है। सरकार ने किसानों को समय पर कर्ज चुकाने और फसल बीमा जैसी योजनाओं का लाभ लेने की भी सलाह दी है, ताकि भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में उन्हें ऐसी कठिनाइयों का सामना न करना पड़े।

कवच योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि किसानों का आत्मविश्वास लौटाने का भी प्रयास है। डिफॉल्टर घोषित होने के बाद किसान स्वयं को सामाजिक रूप से उपेक्षित महसूस करने लगता है। जब उसका खाता फिर से सामान्य होगा और उसे बैंक से ऋण मिलेगा, तो उसका सम्मान और भरोसा भी लौटेगा। अब सबसे बड़ी चुनौती इस योजना का प्रभावी क्रियान्वयन है। यदि इसे पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से लागू किया गया, तो यह केवल 5 हजार किसानों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि पूरे ग्रामीण अर्थतंत्र को नई ऊर्जा देगी। जब किसान मजबूत होगा, तभी गांव और प्रदेश दोनों समृद्ध होंगे।